संख्या: 62/2016/2656 प्रो0/51-2016-14(14)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2016

विषय:- जनपद- वाराणसी आगमन पर राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या 1192/प्रोटोकाल-विविध/2016, दिनांक 22 जून, 2016 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित संलग्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि **रू0 4,87,942 /-(रूपये चार लाख सत्तासी हजार नौं सौं बयालीस मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है कि सन्दर्भगत देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही भविष्य में भी आपके द्वारा वित्तीय-नियमों को पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन किराये पर लिए जायें ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2053- जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093- जिला स्थापनायें -03- कलेक्ट्रेट स्थापनायें- 22- आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा

संलग्नक : 54 मूलदेयक।

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव । -2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 62/2016/2656 (1)प्रो/51-2016-14(14)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, वाराणसी ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राजय सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, टिहरी कोठी, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी।
7- ट्रैवेल्स किंग, यूजी-42, पीसीएफ प्लाजा नादासर, वाराणसी ।
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।